तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय निशियल्स जज	
	15.04.2026 पत्रावली पेश हुई। बहस प्रार्थी सुनी गई। प्रार्थी द्वारा अवगत कराया गया है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 689/252 रकबा 1–09 बीघा पर हिस्सा 1/2 भाग पर बिना तकासमा करवाये मकान बनाये पर आमदा है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 को पाबन्द फरमाया जावें कि प्रार्थी व अप्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि पर मूल वाद के निस्तारण तक निर्माण कार्य नहीं करें एवं मौके की यथास्थिति बनायें रखें। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। मुताबिक जमाबन्दी सम्बत् 2077–2080 खाता संख्या 60 के खसरा नम्बर खसरा नम्बर 689/252 रकबा 1–09 बीघा वाकें ग्रम सिंगोरकलां प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी भूमि है, जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 का हिस्सा 1/2 –1/2 अंकित है। अप्रार्थी संख्या 1 यदि बिना तकासमा करवाये निर्माण कार्य करता है तो प्रार्थी का अपूर्णनीय क्षति होगी। क्योंकि विभाजन से पूर्व प्रत्येक इंच पर सहखातेदारों का संयुक्त अधिकार है। प्रार्थी उक्त विवादित भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार अंकित है। अतः प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि मूल वाद के अन्तिम निर्णय तक उक्त विवादित भूमि आराजी खसरा नम्बर 689/252 रकबा 1–09 बीघा वाकें ग्रम सिंगोरकलां पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें और ना ही किसी अन्य से करावें एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों। उपखण्ड अधिकारी खण्डार (स० मा०)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2026.05.18 11:16:50 IST
Reason: SelfAttested